भाग–I

अध्याय–I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर से जीएसडीपी का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के सम्मुख जीएसडीपी

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
टर्नओवर (₹ करोड़ में)	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46	60355.46
टर्नओवर में गत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	23.05	16.81	14.31	14.02	8.54
राजस्थान की जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	615642.00	681485.00	758809.00	835558.00	929124.00
जीएसडीपी में गत वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	11.73	10.70	11.35	10.11	11.20
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशत	5.93	6.26	6.43	6.65	6.50

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के आंकड़ों एवं राजस्थान सरकार की 2018-19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है एवं यह 2014-19 की अवधि में 8.54 प्रतिशत से 23.05 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.11 प्रतिशत से 11.73 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर[1] 11.01 प्रतिशत रही। वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी की 11.01 प्रतिशत

1 वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर [[{(2018-19 का मूल्य/2013-14 का मूल्य)^(1/5 वर्ष)}-1]*100] जिसमें 2013-14 के लिए टर्नओवर एवं जीसडीपी क्रमशः ₹ 29680.74 करोड़ एवं ₹ 551031 करोड़ है।

की वार्षिक मिश्रित वृद्धि के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में गत पांच वर्षों के दौरान 15.25 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 5.93 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.50 प्रतिशत हो गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को अधिनियमित किया (जनवरी 2000) एवं तदनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000) एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, दायित्व, आबंध, कार्यवाहियां एवं कार्मिक पांच ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों (यथा, *अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोवीवीएनएल), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)* को हस्तान्तरित कर दी। यह पांच ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां 19 जुलाई 2000 को अस्तित्व में आई एवं आरएसईबी की सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां (₹ 1775 करोड़[2] की पूँजी एवं ₹ 1398 करोड़[3] की आरएसईबी की संचित हानियों सहित) आरपीएसआरटी योजना 2000 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य विभाजित की गई थी। राज्य सरकार ने (2002-03 से 2015-16 के मध्य) ऊर्जा क्षेत्र की तीन अन्य कम्पनियां अर्थात *राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड* (*आरआरईसीएल* पूर्व में *राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड* के नाम से जानी जाती थी), *राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल)* एवं *राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड (आरआरवीवीवीएनएल)* क्रमशः ₹ 3.65 करोड़, ₹ 50 करोड़ एवं ₹ 0.05 करोड़ की पूंजी निवेश करके क्रमशः 2002-03, 2015-16 एवं 2018-19 में निगमित की। इन आठ कम्पनियों के अतिरिक्त, ऊर्जा क्षेत्र की सात[4] अन्य कम्पनियों को आरआरवीपीएनएल/आरआरवीयूएनएल/आरआरईसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में निगमित (नवंबर 2006 से नवंबर 2011) किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 को राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियां थीं। ऊर्जा क्षेत्र की इन 15 कम्पनियों में से छः[5] कम्पनियों ने 2018-19 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की। इन छः कम्पनियों में से एक कम्पनी नामतः केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां वर्ष 2018-19 के दौरान बंद कर दी (15 फरवरी 2019)।

---

2 एवीवीएनएल (₹ 150 करोड़), जेवीवीएनएल (₹ 140 करोड़), जोवीवीएनएल (₹ 120 करोड़), आरआरवीपीएनएल (₹ 440 करोड़) एवं आरआरवीयूएनएल (₹ 925 करोड़)।

3 आरआरवीपीएनएल (₹ 906 करोड़) एवं आरआरवीयूएनएल (₹ 492 करोड़)।

4 बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (बांसवाडा टीपीसीएल) (7 अगस्त 2008), बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (बाड़मेर टीपीसीएल) (5 जुलाई 2010), केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (केजीटीपीसीएल) (17 सितम्बर 2010), छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (सीपीएल) (22 नवम्बर 2006), धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (डीजीपीएल) (22 नवम्बर 2006), गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (जीएलपीएल) (1 जनवरी 2009) एवं राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल) (2 नवम्बर 2011)।

5 बांसवाड़ा टीपीसीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, सीपीएल, डीजीपीएल, केजीटीपीसीएल एवं आरआरवीवीवीएनएल।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.3 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से किसी भी उपक्रम का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	5	10451.04	24813.14	35264.18
विद्युत का प्रसारण	4	4443.19	11121.83	15565.02
विद्युत का वितरण	3	30756.07	30143.01	60899.08
अन्य[6]	3	50.10	-	50.10
कुल	**15**	**45700.40**	**66077.98**	**111778.38**

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 111778.38 करोड़ था। निवेश में पूँजी 40.88 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 59.12 प्रतिशत सम्मिलित थे।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 27.73 प्रतिशत (₹ 18324.72 करोड़) थे जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया ऋण 72.27 प्रतिशत (₹ 47753.26 करोड़) था। तथापि, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना[7] (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 को कुल बकाया ऋणों (₹ 83229.89 करोड़) में से ₹ 62421.96 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत तीन

6 ऊर्जा क्षेत्र के तीन उपक्रमों, यथा राज्य में सोलर पार्क के ढांचागत विकास एवं प्रबंधन के लिये आरएसडीसीएल, राज्य की तीन डिस्कॉम्स हेतु ऊर्जा व्यापार करने के लिये आरयूवीएनएल तथा राज्य के विभिन्न वितरण लाईसेंसी के लिये राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आरआरवीवीएनएल, को अन्य गतिविधियों में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इन उपक्रमों की गतिविधियां उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में सम्मिलित नहीं होती हैं।

7 डिस्कॉम्स के वित्तिय एवं संचालकीय परिवर्तन के लिये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना। अनुच्छेद 1.20 के अंतर्गत विस्तृत चर्चा की गई है।

वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय जावक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[8]	2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
समता पूँजी (i)	6	4115.71	5	849.92	6	822.35
दिये गये ऋण (ii)	4	11903.83	1	341.56	1	176.79
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	4	14576.36	4	23434.55	3	21184.75
कुल जावक (i+ii+iii)	7[9]	30595.90	6[9]	24626.03	6[9]	22183.89
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	3	3000.00	3	3000.00
निर्गमित गारंटियां	5	23313.85	5	15283.10	4	21671.76
गारंटी प्रतिबद्धता	5	43218.50	5	53246.68	5	57193.32

स्रोत: उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.1: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

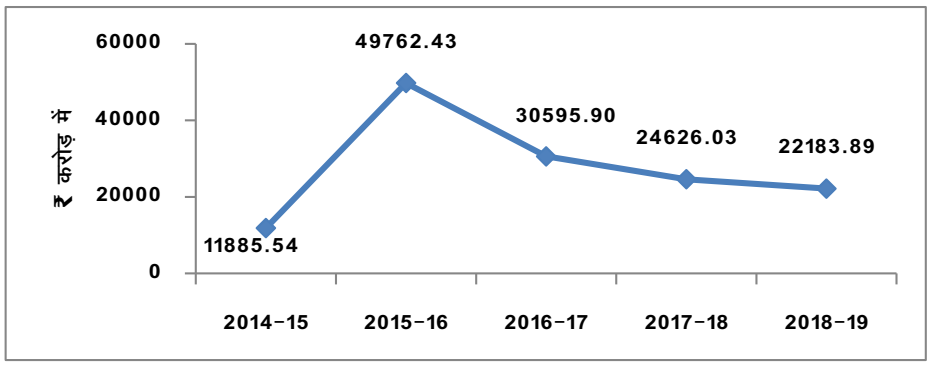

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन उपक्रमों को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 11885.54 करोड़ एवं ₹ 49762.43 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 22183.89 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 822.35 करोड़, ₹ 176.79 करोड़ एवं ₹ 21184.75 करोड़ सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्वाधीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालनीय एवं वित्तीय परिवर्तन के लिये उदय योजना प्रारंभ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं तीन डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के अनुच्छेद 1.20 के अंतर्गत की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत ₹ 3000 करोड़ की बकाया ऋण राशि को पूँजी में परिवर्तित किया गया था। इस प्रकार, 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की पूँजी

8 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

9 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें बजट से एक अथवा अधिक मदों यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में सहायता प्राप्त हुई।

में ₹ 3822.35 करोड़ की वृद्धि नकद प्रेरण (₹ 822.35 करोड़) एवं उदय योजना के अंतर्गत राज्य के तीन डिस्कॉम्स के ऋणों के पूँजी में रूपांतरण (₹ 3000 करोड़) के माध्यम से हुई थी। पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से पूँजीगत निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के पेटे थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी/अनुदान में वर्ष 2018-19 (₹ 21184.75 करोड़) में गत वर्ष (₹ 23434.55 करोड़) की तुलना में कमी हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, सब्सिडी/अनुदान मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स को सहायता (₹ 12000 करोड़), विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने हेतु (₹ 7681.33 करोड़) एवं विद्युत शुल्क के लिए अनुदान (₹ 1493.27 करोड़) के लिये प्रदान किये गये थे।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय किया (फरवरी 2011)। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 7.41 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 53246.68 करोड़ से 2018-19 में ₹ 57193.32 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र की पांच उपक्रमों द्वारा ₹ 481.59 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.6 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को पूँजी एवं बकाया गारंटी के आंकडे वित्त लेखों के समान थे परन्तु ऋण के आंकड़ों में नीचे दर्शाये गये अनुसार कुछ अंतर था:

तालिका 1.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	6354.49	6428.83	74.34
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4724.03	4649.69	-74.34
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1405.56	1053.63	-351.93

स्रोत: वित्त लेखों एवं उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को उपक्रमों/विभागों के समक्ष समय-समय पर उठाया गया था। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं उपक्रमों को अंतर का तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी की समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2019 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम थे। वैधानिक आवश्यकता के अनुसार इन सभी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत कर दिये गए थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	उपक्रमों की संख्या	15	17	20	15	15
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	19	17	21	15	15
3.	उपक्रमों की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया गया	14	16	20	15	15
4.	गत वर्ष के लेखों की संख्या जिनको चालू वर्ष में अंतिम रुप दिया गया	5	1	1	0	0
5.	उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	1	1	0	0	0
6.	बकाया लेखों की संख्या	1	1	0	0	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-	-

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कार्यरत उपक्रमों के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां गत तीन वर्षों से अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में तत्पर रहीं।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम 30 सितंबर 2019 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार **अनुबंध-1** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2019 को निवेश की राशि ₹ 111778.38 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 45700.40 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 66077.98 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 63652.77 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 45328.05 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 18324.72 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.2: राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

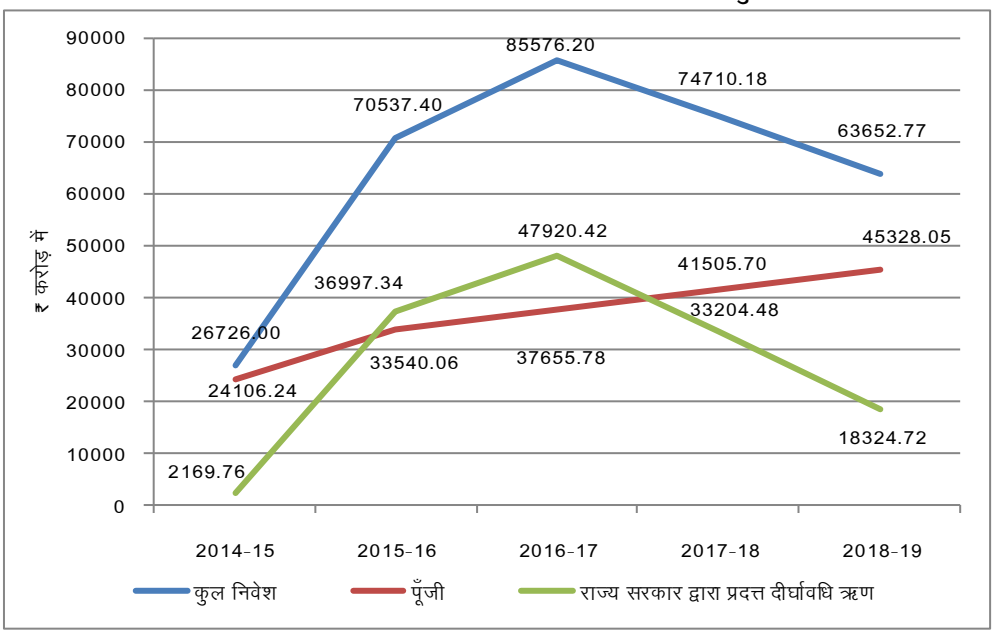

कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापी जाती है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों से पश्चात के लाभ को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है।

सरकार के निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि की कुल निवेश से प्रतिशतता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के समस्त उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि[10] की समग्र स्थिति को चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

10 आंकड़े संबंधित वर्ष के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों पर आधारित हैं।

चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि

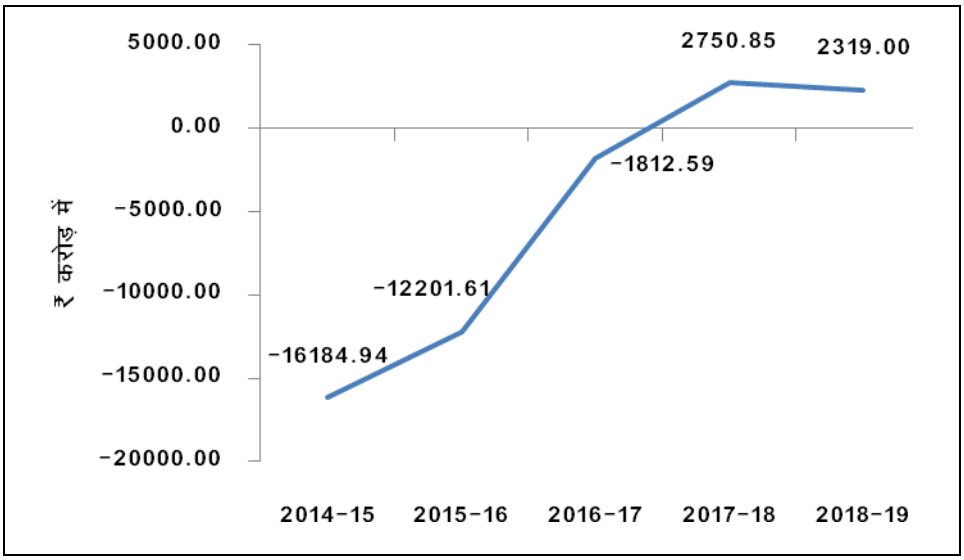

ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों द्वारा 2014-15 में हुई ₹ 16184.94 करोड़ की हानि के समक्ष 2018-19 में अर्जित लाभ ₹ 2319.00 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से छः उपक्रमों ने ₹ 2773.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया, चार उपक्रमों ने ₹ 454.19 करोड़ की हानि वहन की एवं पांच उपक्रमों को मामूली हानि हुई **(अनुबंध-1)**। शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियों में जोवीवीएनएल (₹ 1233.76 करोड़), जेवीवीएनएल (₹ 906.09 करोड़), एवीवीएनएल (₹ 466.82 करोड़) एवं आरआरवीयूएनएल (₹ 138.42 करोड़) थी जबकि जीएलपीएल एवं आरआरवीपीएनएल ने क्रमश ₹ 324.13 करोड़ एवं ₹127.99 करोड़ की भारी हानि वहन की।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान मामूली लाभ/हानि वाले उपक्रमों की संख्या
2014-15	13	3	8	2
2015-16	15	3	8	4
2016-17	15	4	7	4
2017-18	15	7	4	4
2018-19	15	6	4	5

(अ) सरकारी निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की दर

1.10 राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि का निवेश केवल **ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों** में किया है। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की अन्य सात कम्पनियों में कोई सीधा निवेश नहीं किया

था। ऊर्जा क्षेत्र की तीन[11] कम्पनियों की सात सहायक कम्पनियों में समस्त पूँजी संबंधित स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा प्रदत्त की गई थी।

राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में उपक्रमों में किये गये निवेश के आधार पर आठ उपक्रमों से निवेश पर प्रतिफल की दर (आरओआर) की गणना की गई है। ऋणों के संबंध में, केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं इसलिए पुनर्भुगतान के नियम एवं शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान के लिए दायी ऋणों को उस सीमा तक छोड़कर ये ऋण पूँजी निवेश की प्रकृति के है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नही है। तथापि, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को उदय योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों का अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई थी। अतः निवेश पर प्रतिफल की तुलना दोनों प्रक्रियाओं यथा उदय के अन्तर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश मानते हुए एवं उक्त सब्सिडी को निवेश नही मानते हुए की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के इन आठ उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश की गणना प्रतिवर्ष पूँजी (संचित हानियों से समायोजित प्रारंभिक पूँजी में बाद के वर्षों के दौरान निवेशित पूँजी को जोड़ते हुए) में, ब्याज मुक्त ऋणों को जोड़ते हुए एवं उन ब्याज मुक्त ऋणों, जो कि बाद के वर्षों के दौरान पूँजी में परिवर्तित हुए है, को घटाते हुए की गई है।

31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के इन आठ उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 63652.77 करोड़ था जिसमें ₹ 45328.05 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 18324.72 करोड़ के दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 472.50 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे। इस प्रकार, ₹ 472.50 करोड़ के निवल ब्याज मुक्त ऋण एवं ₹ 43930.19 करोड़ की पूँजी (₹ 45328.05 करोड़ में से ₹ 1397.86 करोड़ की प्रारंभिक संचित हानियों को घटाते हुए) को राज्य सरकार का निवेश मानते हुए ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों में वर्ष 2018-19 के अंत में ऐतिहासिक लागत पर निवेश ₹ 44402.69 करोड़ था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत पर निवेश पर प्रतिफल की दर नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 1.7: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आरओआर

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा निधियों का निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल लाभ/ हानियां[12] (₹ करोड़ में)	राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (प्रतिशत में)
2014-15	24210.23	-14890.91	-61.51
2015-16	32614.70	-12063.88	-36.99
2016-17	36730.42	-1585.95	-4.32
2017-18	40580.34	2985.46	7.36
2018-19	44402.69	2634.26	5.93

11 आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं आरआरईसएल।

12 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार।

ऊर्जा क्षेत्र की आठ उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल की दर नकारात्मक थी तथा यह वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान -61.51 प्रतिशत से -4.32 प्रतिशत के मध्य था। तथापि, यह मुख्यतः उदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होने के परिणामस्वरूप तीन डिस्कॉम्स की आय बढ़ने के कारण, उन्नत होकर 2017-18 में 7.36 प्रतिशत एवं 2018-19 में 5.93 प्रतिशत हो गई।

(ब) सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

1.11 सरकार द्वारा **ऊर्जा क्षेत्र की आठ कम्पनियों** में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश की वर्तमान मूल्य (पीवी) की आरओआरआर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। 31 मार्च 2019 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/ राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों में वर्षवार निवेशित धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर, जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार के धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धित किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना, जहां राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश इन कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक किया गया था, की गई। तथापि, इन उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल केवल वर्ष 2017-18 से धनात्मक था। इसलिए, वर्ष 2017-18 एवं तत्पश्चात आरओआरआर की गणना उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए एवं उक्त सब्सिडी को सम्मिलित नही करते हुए पीवी के आधार पर की गई एवं दर्शाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है:

- ब्याज मुक्त ऋणों को सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र की उपक्रमों द्वारा कोई भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाये गये हैं। साथ ही, उन प्रकरणों में जिनमें उपक्रमों को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया था, पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि ब्याज मुक्त ऋण की राशि में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ी गई है। आगे यह कि अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि (अनुच्छेद **1.10** में संदर्भित उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को छोड़कर) को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं है।
- धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से संबंधित वित्तीय वर्ष[13] के लिये सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है

13 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त पर प्रतिवेदन (राजस्थान सरकार) से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/[(गत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

क्योंकि यह निवेश किये गये धन पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान, जब इन कम्पनियों ने हानि वहन की थी, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त मापक है। कम्पनियों की निवल मूल्य के क्षरण पर अनुच्छेद **1.13** में टिप्पणी की गई है।

1.12 ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रुप में किये गये निवेश की कम्पनी वार स्थिति **अनुबंध-2** में इंगित की गई है। ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों में इनकी स्थापना से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य एवं कुल लाभ की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं सरकार द्वारा निवेशित धनराशि के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल निवेश का वर्ष के आरम्भ में वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई समता पूंजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण[14]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ[15]
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv-v	vii	viii=ii+vi	ix={viii*(1+vii)/100}	x={viii*vii/100}	xi
2000-01	-	380.38[16]	-	-	380.38	10.50	380.38	420.32	39.94	0.36
2001-02	420.32	363.00	-	-	363.00	10.50	783.32	865.57	82.25	0.60
2002-03	865.57	338.43	-	-	338.43	10.00	1204.00	1324.40	120.4	0.70
2003-04	1324.40	282.76	-	-	282.76	9.60	1607.16	1761.45	154.29	1.38
2004-05	1761.45	350.00	200.00	-	550.00	9.10	2311.45	2521.79	210.34	13.08
2005-06	2521.79	630.60	150.00	-	780.60	8.20	3302.39	3573.19	270.8	5.38
2006-07	3573.19	694.00	150.00	-	844.00	8.30	4417.19	4783.81	366.62	8.31
2007-08	4783.81	1063.00	150.00	-	1213.00	8.00	5996.81	6476.56	479.75	13.65
2008-09	6476.56	1336.00	250.00	-	1586.00	7.70	8062.56	8683.38	620.82	-1338.81
2009-10	8683.38	1280.00	170.00	-	1450.00	7.70	10133.38	10913.65	780.27	-813.84
2010-11	10913.65	1540.29	0.00	-	1540.29	7.70	12453.94	13412.89	958.95	-21334.91
2011-12	13412.89	2474.71	995.00	1070.00	2399.71	7.70	15812.60	17030.17	1217.57	-19920.34

14 वर्ष 2004-2005 एवं 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ 2011-12 में पूँजी में परिवर्तित किया गया, 2011-12 में प्राप्त ₹ 995 करोड़ 2015-16 में पूँजी में परिवर्तित किया गया एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ का समायोजन 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान राजस्थान सरकार के बकाया के समक्ष किया गया।

15 वर्ष के लिए कुल लाभ संबंधित वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, की शुद्ध आय (लाभ/हानि) के योग को दर्शाती है।

16 यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूँजी में से संचित हानियों को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल जावक ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ - आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसएल की प्रारंभिक पूँजी)।

2012-13	17030.17	3848.00	1000.00	-	4848.00	7.40	21878.17	23497.15	1618.98	-12479.34
2013-14	23497.15	3878.00	0.00	-	3878.00	7.30	27375.15	29373.54	1998.39	-15893.55
2014-15	29373.54	4249.21	236.25	729.40	3756.06	7.50	33129.60	35614.32	2484.72	-14890.91
2015-16	35614.32	9433.82	236.25	1265.60	8404.47	6.70	44018.79	46968.05	2949.26	-12063.88
2016-17	46968.05	4115.72	0.00	-	4115.72	7.60	51083.77	54966.14	3882.37	-1585.95
2017-18	54966.14	3849.92	0.00	-	3849.92	7.30	58816.06	63109.63	4293.57	2985.46
2018-19	63109.63	3822.35	0.00	-	3822.35	7.30	66931.98	71818.01	4866.03	2634.26
कुल		**43930.19**	**3537.50**	**3065.00**	**44402.69**					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन आठ कम्पनियों में निवेशित धनराशि का योग वर्ष 2000-01 में ₹ 380.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 44402.69 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 43930.19 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 472.50 करोड़) के रूप में आगे और भी निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 71818.01 करोड़ आता है।

वर्ष 2000-2001 से 2007-08 के लिए कुल लाभ केवल एक कम्पनी अर्थात राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की वर्ष के लिये निवल आय (लाभ/हानि) को दर्शाती है जिसने अपने वार्षिक लेखे संबंधित वर्ष के लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर बनाये थे जबकि शेष पांच कम्पनियों ने अपने वार्षिक लेखे 'ना लाभ ना हानि' के आधार पर बनाये थे एवं आय एवं व्यय के अन्तर को इस अवधि के दौरान 'राज्य सरकार से राजस्व अंतर के पेटे प्राप्य आर्थिक सहायता' के रूप में दर्शाया था। तदपश्चात, दो[17] अन्य कम्पनियों ने 2008-09 से अपने वार्षिक लेखे वर्ष के लिए लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर बनाये जबकि राज्य के तीन डिस्कॉम्स[18] ने अपने वार्षिक लेखे वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर 2010-11 से बनाना प्रारंभ किये।

यह देखा जा सकता है कि इन कम्पनियों से संबंधित वर्ष के लिए कुल लाभ 2008-09 से 2016-17 के दौरान ऋणात्मक रहे जो कि यह दर्शाता है कि निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर, यह कम्पनियां सरकार की धन राशि की लागत को भी नहीं वसूल कर पाई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में धनात्मक कुल आय इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में किये गये निवेश के न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी नीचे रही।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा तीन डिस्कॉम्स को 2016-17 में ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 एवं 2018-19 में प्रत्येक वर्ष में ₹ 12000 करोड़ (कुल ₹ 33000 करोड़) उदय योजना के अंतर्गत इन डिस्कॉम्स पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी भी प्रदान की गई। यदि हम इस सब्सिडी को राज्य सरकार से प्राप्त निवेश के रूप में मानते है तो निवेश पर प्रतिफल और अधिक कम हो जाता है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, जब धनात्मक अर्जन था, उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को ध्यान में रखते हुये एवं इस सब्सिडी को नहीं मानते हुए ऐतिहासिक लागत पर सरकार के निवेश पर प्रतिफल एवं इस निवेश के वर्तमान मूल्य का तुलनात्मक विवरण नीचे दर्शाया गया है:

17 आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीयूएनएल।

18 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जोवीवीएनएल।

तालिका 1.9: राज्य सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल लाभ/हानि (-)	पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार का निवेश	राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुये आरओआरआर (%)
उदय के बिना					
2017-18	2985.46	40580.34	7.36	63109.63	4.73
2018-19	2634.26	44402.69	5.93	71818.01	3.67
उदय के साथ					
2017-18	2985.46	61580.34	4.85	86376.56	3.46
2018-19	2634.26	77402.69	3.40	109659.43	2.40

आरओआरआर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर से कम था जैसा कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिफल की तुलनात्मक स्थिति में दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर 5.93 प्रतिशत था जबकि आरओआरआर केवल 3.67 प्रतिशत था। तथापि, यदि हम उदय योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सब्सिडी को भी निवेश मानते है, तो वर्ष 2018-19 के लिये ऐतिहासिक आधार पर प्रतिफल की दर 5.93 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 3.40 (उदय के साथ) हो जाता है एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल 3.67 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 2.40 (उदय के साथ) हो जाता है।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। वास्तव में यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों में ₹ 45700.40 करोड़ के पूँजी निवेश की तुलना में समग्र संचित हानियां ₹ 96597.14 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय को घटाने के पश्चात ऋणात्मक निवल मूल्य (-) ₹ 50899.08 करोड़ हो गया **(अनुबंध-1)**। निवल मूल्य का क्षरण मुख्य रूप से जेवीवीएनएल (-) ₹ 20277.18 करोड़, जोवीवीएनएल (-) ₹ 19820.20 करोड़, एवीवीएनएल (-) ₹ 19000.52 करोड़ एवं जीएलपीएल (-) ₹ 894.72 करोड़ में हुआ था।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों (नियंत्रक कम्पनियां) की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियां एवं निवल मूल्य निम्नांकित तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.10: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित हानियां(-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	22708.38	-83109.27	1.47	-60402.36
2015-16	32142.20	-98783.01	1.20	-66642.01
2016-17	36257.92	-100581.13	2.17	-64325.38

2017-18	41505.70	-97981.51	1.96	-56477.77
2018-19	45328.05	-95333.68	2.34	-50007.97

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों में 2014-19 की अवधि के दौरान भारी मात्रा में पूँजी निवेश कर लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। तथापि, भारी मात्रा में पूँजी निवेश के पश्चात भी इन ऊर्जा कम्पनियों की संचित हानियां 2014-15 के ₹ 83109.27 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹ 100581.13 करोड़ हो गयी एवं इन कम्पनियों में निवेशित संपूर्ण पूँजी का क्षरण हो गया। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान, यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ₹ 2634.26 करोड़ का लाभ कमाया गया परन्तु इन कम्पनियों का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण ऋणात्मक (-) ₹ 50007.97 करोड़ था।

वर्ष 2014-15 के दौरान छः[19] उपक्रमों में से, तीन[20] उपक्रमों का निवल मूल्य ऋणात्मक एवं तीन[21] उपक्रमों का निवल मूल्य धनात्मक था। इसके अतिरिक्त, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान चार[22] उपक्रमों का निवल मूल्य धनात्मक था एवं तीन[23] उपक्रमों का निवल मूल्य ऋणात्मक था तथा 2018-19 के दौरान पांच[24] उपक्रमों का निवल मूल्य धनात्मक था एवं तीन[25] उपक्रमों का निवल मूल्य ऋणात्मक था। समस्त आठ उपक्रमों का निवल मूल्य 2014-15 से 2018-19 के दौरान बढ़ गया।

लाभांश का भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभ अर्जन करने वाली कम्पनियों को प्रदत्त शेयर पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक था। ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया गया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपक्रम जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम		उपक्रम जिन्होनें वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	6	22708.38	2	2395.95	1	1.29	0.05

19 आरयूवीएनएल एवं आरआरवीवीवीएनएल 2015-16 के दौरान अस्तित्व में आई तथा राजस्थान सरकार ने 2018-19 के दौरान आरआरवीवीवीएनएल में पूँजी निवेश की।

20 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जोवीवीएनएल।

21 आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल एवं आरआरवीपीएनएल।

22 आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल, आरआरवीपीएनएल एवं आरयूवीएनएल।

23 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जोवीवीएनएल।

24 आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल, आरआरवीपीएनएल, आरआरवीवीवीएनएल एवं आरयूवीएनएल।

25 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल एवं जोवीवीएनएल।

2015-16	6	32142.20	2	2933.11	1	1.29	0.04
2016-17	7	36257.92	3	12060.97	1	3.88	0.03
2017-18	7	40107.84	6	40057.84	1	1.29	0.003
2018-19	8	43930.19	5	40836.96	1	1.29	0.003

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या दो एवं छः के मध्य थी जिसमें से केवल एक पीएसयू (आरआरईसीएल) ने राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया। आरआरईसीएल ने 2004-19 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात नाममात्र रहा जो कि केवल 0.003 प्रतिशत एवं 0.05 प्रतिशत के मध्य था। अतिरिक्त विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इनमें से किसी भी कम्पनी ने स्थापना से 2003-04 तक लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा इन उपक्रमों में इस अवधि के दौरान भारी मात्रा में पूँजी के निवेश के कारण, लाभांश भुगतान अनुपात 2004-05 में 4.20 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.003 प्रतिशत हो गया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में की जा सकती है यदि उसकी शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें है।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारकों हेतु कितना शेष रहेगा। शेयरधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि कम्पनी के पास अपने दायित्वों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां है जबकि शेयरधारकों की निधि के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक हैं।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना **ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में की गई है,** जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों, जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन[26] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2014-15	-14890.91	-60402.36	-
2015-16	-12063.88	-66642.01	-
2016-17	-1585.95	-64325.38	-

26 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर।

2017-18	2985.46	-56477.77	-
2018-19	2634.26	-50007.97	-

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान शुद्ध आय केवल 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान धनात्मक थी, तथापि, सभी पांच वर्षों के दौरान शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। चूँकि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान इन उपक्रमों की शुद्ध आय एवं सभी वर्षों में शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इन उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी थी। ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि यह इंगित करती है कि इन उपक्रमों के दायित्व सम्पत्तियों से अधिक है एवं शेयरधारकों को प्रतिफल देने के स्थान पर यह शेयरधारकों के ऋणी हैं।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी में नियोजित पूँजी पर लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[27] द्वारा विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान **ऊर्जा क्षेत्र के समस्त 15 उपक्रमों** के आरओसीई का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	-6172.47	42466.49	-14.53
2015-16	52.33	40045.85	0.13
2016-17	6143.70	53387.20	11.51
2017-18	18554.01	51204.77	36.23
2018-19	15082.35	52083.40	28.96

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का आरओसीई -14.53 प्रतिशत एवं 36.23 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। राजस्थान सरकार से उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी (2016-17 के दौरान ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 12000 करोड़) को आय मानने के कारण डिस्कॉम्स की आय असाधारण रूप से बढ़ने से वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान गत वर्षों की तुलना में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 कम्पनियां, जिनमें 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऋण थे, में कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बकाया ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की कम्पनियों की क्षमता के आंकलन हेतु दीर्घावाधि ऋणों का विश्लेषण किया गया है। इसका आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

27 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां- आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े उपक्रमों के नवीनतम वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.18 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों जिनमें ब्याज का भार था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.14: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	कम्पनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2014-15	10012.47	-6173.33	10	2	8[28]
2015-16	12253.94	49.88	8	2	6[29]
2016-17	7956.29	6132.58	8	3	5[30]
2017-18	15734.07	18541.34	8	6	2[31]
2018-19	12757.33	15068.66	8	5	3[32]

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के ब्याज में 2015-18 एवं 2018-19 से संबंधित क्रमशः ₹ 7237.92 करोड़ एवं ₹ 2439.10 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स को उदय योजना के अंतर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋणों के दायित्व से मुक्त करने के लिए दिये गये ऋणों पर वसूल किया गया है।

यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की संख्या, जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है की संख्या 2014-15 में दो से बढ़कर 2018-19 में पांच हो गई थी।

ऋण आवर्त अनुपात

1.19 गत पांच वर्षों के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों के टर्नओवर में 15.25 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 2.36 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऋण आवर्त अनुपात 2014-15 में 1.85 से सुधरकर 2018-19 में 1.09 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

28 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जोवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, जीएलपीएल, लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड, पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड एवं आरआरवीयूएनएल।

29 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जोवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, जीएलपीएल एवं आरआरवीयूएनएल।

30 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जोवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल एवं जीएलपीएल।

31 बाड़मेर टीपीसीएल एवं जीएलपीएल।

32 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल एवं आरआरवीपीएनएल।

तालिका 1.15: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋण आवर्त अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार/बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण	67511.83	81440.44	89378.68	75339.36	66077.98
टर्नओवर	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46	60355.46
ऋण आवर्त अनुपात	1.85:1	1.91:1	1.83:1	1.35:1	1.09:1

स्रोत: उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.20 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए उदय योजना प्रारंभ की (20 नवंबर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय कायापलट के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.20.1 भागीदार राज्यों को संचालन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, विद्युत की चोरी की जांच करने के लिए व्यापक आईईसी अभियान, उन क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां एटीएंडसी हानि को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान को घटाना एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018-19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएंडसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना।

वित्तीय कायापलट के लिए योजना

1.20.2 भागीदार राज्यों को डिस्कॉम्स के 75 प्रतिशत ऋणों अर्थात 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत का अधीनीकरण की आवश्यकता थी । वित्तीय कायापलट के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य 'गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र' जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके बदले में डिस्कॉम्स बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का

निर्वहन करेगा। जारी किए गए ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष की होगी, जिसमें मूलधन चुकाने की 5 वर्ष तक की छूट होगी।

- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा, इसके पश्चात उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।
- 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को राशि हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जिसे तीन वर्षों में विस्तारित किया जा सकेगा तथा शेष हस्तांतरण डिस्कॉम्स को राज्य ऋण के माध्यम से किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

तालिका 1.16: मापदण्ड-वार लक्ष्यों की तुलना में 30 सितम्बर 2019 तक संचालन निष्पादन उपलब्धियां

उदय योजना का मापदण्ड	उदय योजना के अंतर्गत लक्ष्य	उदय योजना के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	2521	5873	100
वितरण ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग (संख्या में)			
शहरी	60166	16850	28
ग्रामीण	3486	0	0
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	4357	1321	30
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	20203	20248	100
असंबद्ध घरों में विद्युत (संख्या लाखों में)	11.40	23.97	100
स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	49849	7953	16
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाखों में)	34.50	58.49	100
एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	15	25.84	0
एसीएस-एआरआर में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.52	0.64	0
शुद्ध आय या लाभ/हानि अनुदान सहित (₹ करोड में)	-2184.32	-2498.24	0

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार उदय योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी की मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, उसने स्मार्ट मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण के क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया है जबकि फीडर मीटरिंग, असंबद्ध घरों में विद्युत प्रदान करना एवं एलईडी का वितरण के मामले में इसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य 2018-19 तक एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर 2018 तक उदय योजना के अंतर्गत तीनों राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की

गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर राजस्थान राज्य सभी राज्यों में चौथे स्थान पर था जो कि 30 सितंबर 2019 को गिरकर बाहरवां हो गया।

ब. वित्तीय कायापलट का कार्यान्वयन

1.20.4 राजस्थान सरकार (जीओआर) ने उदय योजना का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, को 'सैद्धांतिक सहमति' प्रदान की थी (07 दिसम्बर 2015)। तत्पश्चात, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम्स (अर्थात जेवीवीएनएल/ जोवीवीएनएल/एवीवीएनएल) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे (27 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण ₹ 8700 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 9000 करोड़ का अनुदान प्रदान करके कर लिया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.17: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
कुल	**8,700.00**	**44,721.96**	**9,000.00**	**62,421.96**
2017-18	3,000.00	(-)15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3000.00	(-)15,000.00	12,000.00	
31 मार्च 2019 को स्थिति	**14,700.00**	**14,721.96**	**33,000.00**	**62,421.96**

राशि ₹ 44721.95 करोड़ जिसे उदय स्कीम के अंतर्गत ऋण के रूप में दिया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के समक्ष, राजस्थान सरकार ने 2017-18 एवं 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था।

राजस्थान सरकार ने वर्ष के दौरान उदय योजना के अंतर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋण दायित्व चुकाने के लिए दिये गये ऋण पर ₹ 2439.10 करोड़ का ब्याज भी वसूल किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां

1.21 ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अपने 15 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से ग्यारह लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों की गुणवत्ता में

सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2016-19 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.18: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.23	5	51.95	4	491.55
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	1169.71	1	13.75
3.	हानि में वृद्धि	1	15.23	1	10.32	2	11.19
4.	हानि में कमी	2	16.82	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	-	-	2	28.35	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	3	249.81	4	385.18	5	242.83

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में वैधानिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन नहीं करने के 23 प्रकरणों का उल्लेख किया था।

अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के भाग-I के लिए, ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित चार अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किये गये थे। अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर राज्य सरकार/प्रबंधन से प्राप्त हो गये हैं एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिये गये हैं (मई 2020)। अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 105.29 करोड़ है ।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्यवाही

1.23 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समस्त अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अग्रेषित कर दी है।

1.24 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई लेखापरीक्षा टिप्पणियों, जिनका इकाई पर ही समापन नहीं किया है, को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संबधित उपक्रमों के प्रमुखों एवं राज्य सरकार के संबधित विभागों को प्रेषित किया जाता है। उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित करना होता है।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों से संबधित, मार्च 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन से यह प्रकट हुआ कि 178 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सबंधित 574 अनुच्छेद सितम्बर 2019 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 5230.80 करोड़ था। कम्पनी-वार 30 सितम्बर 2019 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेदों की स्थिति **अनुबंध-3** में दर्शाई गयी हैं। साथ ही, 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की 161 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी एवं 381 अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुये 59 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान के लिए ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों (सात सहायक कम्पनियों को हटाते हुये) में से छः कम्पनियों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया है। इन छः लेखापरीक्षा समितियों की वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 20 बैठकें हुई थी, जिनमें जवाबदेहीता एवं ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बकाया अनुच्छेदों की स्थिति की चर्चा कार्यकारी/प्रशासनिक विभागों के साथ की गई।

लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली

1.25 वर्ष 2018-19 में अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान, उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 88.87 करोड़ की वसूली इंगित की गई। साथ ही, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 88.46 करोड़ (2018-19 में इंगित की गई वसूली के समक्ष ₹ 8.61 करोड़ एवं गत वर्षों में इंगित की गई वसूली के समक्ष शेष ₹ 79.85 करोड़) की वसूली की गई।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.26 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (उपक्रमों) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2019 तक चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		अनुच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	1	5	1	4
2017-18	1	5	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) पर चर्चा पूर्ण हो गई है।